



2026:AHC:128499

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19834/2026

रेखा और 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: प्रमोद कुमार गुप्ता

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना- सिकंदरपुर, जिला- बलिया में मुकदमा अपराध संख्या 58/2026, बी.एन.एस. की धारा 115(2), 309(6) के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि एफ.आई.आर. में यह अभिकथित है कि उन्हें घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया, तथापि आवेदकगण का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता/सूचनादाता के शरीर पर कोई चोट कारित नहीं हुई, जो सूचनादाता की दिनांक 20.03.2026 की चोट आख्या से स्पष्ट है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण और पीड़िता के बीच तीखी झड़प हुई जो हाथापाई में परिवर्तित हो गई तथा तत्पश्चात सूचनादाता द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण दिनांक 21.03.2026 से कारागार में निरुद्ध हैं तथा यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगते गए कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने का वाद बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदकगण- रेखा, अर्चना और जूली को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक-एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो-दो स्थानीय प्रतिभू, जिनमें से एक आवेदक का परिजन हो, प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदकगण इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेंगे कि वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेंगे, जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(ii) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यदि, आवेदकगण विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदकगण ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदकगण (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकगण की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को जमानत देने में की गई टिप्पणियां साक्षीगण की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

ए.पी.पांडेय